भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं .1872
01.08.2023 को उत्तर देने के लिए

फलों और सब्जियों का बर्बाद होना

1872. श्री एस. ज्ञानतिरावियमः
श्री रमेश चन्द्र माझीः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रसंस्करण अवसंरचना के अभाव में बर्बाद होने वाले फलों और सब्जियों की मात्रा के संबंध में कोई राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त मुद्दे का समाधान करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पके हुए फलों और सब्जियों को सड़ने से रोकने के लिए देश में प्रसंस्करण और पर्याप्त भंडारण अवसंरचना से संबंधित कोई नया तंत्र विकसित किया गया है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित और उपयोग की गई निधियों का योजना-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), भारत सरकार, प्राथमिक सर्वेक्षणों के आधार पर अध्ययन के माध्यम से समय-समय पर देश में विभिन्न कृषि उपज के लिए फसल और फसल की कटाई के बाद के नुकसान का अनुमान लगाती है। मंत्रालय द्वारा दो अध्ययन किए गए थे :

(i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीएचईटी), लुधियाना "भारत में प्रमुख फसलों और वस्तुओं की मात्रात्मक फसल और फसल की कटाई के बाद के नुकसान का आकलन", 2015; और

(ii) नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्रा. लिमिटेड (नैबकॉन्स) " भारत में कृषि उपज के फसल की कटाई के बाद के नुकसान का निर्धारण करने के लिए अध्ययन", 2022 ।

फलों और सब्जियों की फसल और फसल की कटाई के बाद के नुकसान का अनुमानित प्रतिशत इस प्रकार है:

माल	अनुमानित प्रतिशत हानि	
	आईसीएआर-सिफेट अध्ययन के अनुसार (2015)	एनएबीसीओएनएस अध्ययन के अनुसार (2022)
फल	6.70-15.88	6.02-15.05
सब्ज़ियाँ	7.32-12.44	4.87-11.61

अध्ययन में फलों और सब्जियों सहित कृषि उपज की फसल और फसल की कटाई के बाद के नुकसान का कोई राज्य-विशिष्ट अनुमान शामिल नहीं किया गया था।

(ख) और (ग): देश में फलों और सब्जियों सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, एमओएफपीआई द्वारा केंद्रीय क्षेत्र अंब्रेला योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), 2016-17 से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई), 2021-22 से और केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), 2020-21 से, लागू की गई है ।

इन योजनाबद्ध हस्तक्षेपों का लक्ष्य फलों और सब्जियों सहित कृषि उपज के प्रसंस्करण और संरक्षण के स्तर को बढ़ाना है, जिससे फलों और सब्जियों की बर्बादी/सड़न को कम किया जा सके ।

(घ): इन योजनाओं के तहत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

योजना	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
पीएमकेएसवाई	750	667.05	791	713.5	673	561.92
पीएमएफएमई	400	394.59	399	289.85	290	274.76
पीएलआईएसएफ़पीआई	0	0	10	7.38	801	489.83

रुपए करोड़ में

*****